:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला–डूॅंगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– सोनू कुमार गुर्जर RAS

प्रकरण सख्याः–60/2022 रेवेन्यु दायर दिनांकः–03.08.2022

1. श्री कचरा पिता सोमा गुदा
2. श्रीमती अमरी पत्नि अमरा गुदा
3. श्री कांति पिता कचरा गुदा
4. श्री मंगला पिता रूपा गुदा
5. श्री लालजी पिता कचरा गुदा
6. श्री शंभु पिता कचरा गुदा
7. श्री हिरा पिता कचरा गुदा जाति मीणा निवासी धोधरा फला कुण्डीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गटू पिता भेमा रोत
2. श्री मणिया पिता गटू रोत
3. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि गटू रोत
4. श्रीमती सरस्वती पत्नि मणिया रोत
5. श्री नरसी पिता रणछोड रोत
6. श्री जगु पिता धुला रोत
7. श्री कचरा पिता लखमा रोत जाति मीणा निवासी धोधरा फला कुण्डीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
8. तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने अन्तर्गत धारा 111 भू.रा.अधि.

सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–

1. श्री कालूराम डामोर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री भंवरलाल डामोर अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 04/06/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण गांवधोधरा फला कुण्डीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 926, 928, 929, 930, 990, 994, 995, 996, 1028, 1029, 1030, 1031,

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

1033, 1119/1069 कुल खेत किता 14 कुल रकबा 45.10 बीघा होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा, खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 926, 928, 929 खेत किता 3 कुल रकबा 9.18 बीघा में फसल बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहा था। उसी समय अप्रार्थीगण भुमि को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर प्रार्थीगण ने कहा कि वह वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए। तथा जबरन प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को अपनी बना लेने तथा प्रार्थीगण की आराजी सीमा पर पूर्व में किये गये निशानदेही होने के बादजुद अप्रार्थीगण सीमा विवाद कर रहे है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी को अपनी बता रहे है जिससे विवाद बढ रहा है ऐसे में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की पत्थर गढी का सीमाकींत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए। प्रार्थीगण की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। जिससे वाद प्रस्तुत कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी होने से अप्रार्थीगण जबरन झंगडा फंसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भुमि पर अतिक्रमण करने प्रार्थीगण से झंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। जिससे लगातार विवाद बढने से वाद कारण लगातार उत्पन्न होने लगा। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में सीमा में पूर्व में की गई पत्थरों की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर दिया। प्रार्थीगण को बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी में घुस गये। जबकि प्रार्थीगण के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा प्रार्थीगण का परिवार भुखा मर जाएगा। प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा, खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 926, 928, 929 खेत किता 3 कुल रकबा 9.18 बीघा होकर स्थित है। ऐसे में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी में किसी प्रकार का विवाद करने पर पाबंद करे की प्रार्थीगण को काश्त में रूकावट उत्पन्न नहीं करे। प्रार्थीगण की मौजा धोधरा, खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 926, 928, 929 खेत किता 3 कुल रकबा 9.18 बीघा वादग्रस्त आराजी पत्थर गढी कराने आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। नोटिस बाद तामिल प्राप्त होकर प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता श्री भंवरलाल डामोर उपस्थित हुए। जवाब प्रस्तुत नहीं करने जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सीमलवाड़ा का जवाब/रिपोर्ट प्राप्त हुई। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी, पत्थर लगाकर, स्थाई सीमा चिन्हों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ कराना चाह रहे हैं। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण की मौजा धोधरा के जमाबन्दी खाता संख्या 19 खसरा नंबर 926, 928, 929 एवं खाता संख्या 18 खसरा संख्या 1119/1069 खेत किता 4 कुल रकबा 3.116 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की गांव धोधरा में स्थित जमाबन्दी खाता संख्या 19 खसरा नंबर 926, 928, 929 एवं खाता संख्या 18 खसरा संख्या 1119/1069 खेत किता 4 कुल रकबा 3.116 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित होवें:–

1. पत्थरगढ़ी की फीस प्रार्थीगण से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवायें।
2. पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व, पडौसी खातेदारान को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति विधिक प्रक्रियानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कब्जा हस्तांतरण न करें।
4. मौके पर कब्जा सम्बन्धी वाद है तो इस आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें।
5. कब्जा सम्बन्धी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक् से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सीमलवाडा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा, थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

(सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उक्त निर्णय आज दिनांक 04/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner